



PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS AUTHORITY, MINISTRY OF AGRICULTURE, GOVERNMENT OF INDIA

S2, 2nd Floor, NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village,
New Delhi-110012 Tel: 011-25843315, 25840777 Fax: 011-25840478
Email : ppvfra-agri@nic.in Website : www.plantauthority.gov.in



ANNOUNCEMENT

Plant Genome Saviour Farmer Rewards and Plant Genome Saviour Farmer Recognitions 2012-13

The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority (PPV&FRA) has been established by the Central Government under the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001. The Authority grants exclusive rights to the breeders and farmers who have bred, evolved or developed any variety. In accordance with section 39 (1)(iii) of PPV&FRA Act, 2001 and the PPV&FRA (Recognition and Reward from the Gene Fund) Rules, 2012, recognition and reward are conferred to a farmer from Gene Fund.

The Authority invites applications for the Plant Genome Saviour Farmer Reward and Plant Genome Saviour Farmer Recognition 2012-13. The Authority annually confers the Plant Genome Saviour Farmer Reward and Plant Genome Saviour Farmer Recognition on the basis of applications from farmers engaged in the conservation of genetic resources of landraces and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation and the material so selected and preserved has been used as donors of gene in varieties registerable under the PPV&FRA Act, 2001 (53 of 2001). There shall be maximum of 10 rewards and 20 recognitions certificates in a financial year. The Reward shall comprise of a citation, memento and a cash of ₹ 1 lakh each. The recognition shall consist of a Citation and Memento.

Eligibility: A farmer engaged in the conservation of genetic resources of landraces and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation and the material so selected and preserved has been used as donors of gene in varieties registerable under the Act shall be eligible for Reward and Recognition.

Application form : The format of the application form may be downloaded from the website www.plantauthority.gov.in or may be obtained on all working days from the office of PPV&FRA between 9:30 A.M to 5:30 P.M. Applications can be filled either in Hindi or English. There is no application fee and only complete form with all supportive documents is to be submitted. If required, site verification will also be undertaken by the Authority and the decision of the Authority shall be final. The applications received after last date will be automatically treated as application for the next year reward. The farmers once entitled for Plant Genome Saviour Farmer Reward or Plant Genome Saviour Farmer Recognition shall not be eligible to apply again.

Essential: It is essential for the applicants to forward their application through Chairperson or Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee or Concerned District Agricultural Officer or Director of Research of concerned State Agriculture University or concerned District Tribal Development Office. The shortlisted farmers for Recognition and Rewards shall be required to deposit specified quantity of seeds or propagating material as may be communicated later.

Last Date of Submission: The duly filled application forms should reach the office of the Registrar (Farmers' Rights), Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority, Ministry of Agriculture, Govt. of India, S-2, 'A' Block, NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur, New Delhi - 110 012, on or before **15th October, 2012.**

Registrar (Farmers' Rights)

Size : W-12 x H-12 cm



पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण कृषि मंत्रालय, भारत सरकार

एस2, दूसरा तल, एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, गांव टोडापुर के सामने,
नई दिल्ली-110012 फोन : 011-25843315, 25840777, फैक्स : 011-25840478
ई-मेल : ppvfra-agri@nic.in वेबसाइट : www.plantauthority.gov.in



घोषणा

प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड और प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन्स 2012-13

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम, 2001 के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवी एण्ड एफआरए) स्थापित किया गया है। प्राधिकरण उन उत्पादकों और किसानों को विशिष्ट अधिकार प्रदान करता है जो किसी किस्म का उत्पादन, उद्भव या विकास करते हैं। पीपीवी एण्ड एफआर अधिनियम, 2001 और पीपीवी एण्ड एफआर (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) नियम, 2012 की धारा 39 (1) (3) के अनुसार जीन निधि से किसान को मान्यता और पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

प्राधिकरण द्वारा प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड और प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन्स 2012-13 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। प्राधिकरण की ओर से प्रति वर्ष भूमि की किस्मों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक महत्व के पौधों के वन्य संबंधियों तथा इस प्रकार चुनी गई सामग्री के चयन और संरक्षण के माध्यम से इनके सुधार और किस्मों में जीन के दाता के रूप में पीपीवी एण्ड एफआर अधिनियम, 2001 (2001 का 53) के तहत प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड और प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन्स प्रदान किए जाते हैं। एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम पुरस्कार और 20 मान्यता प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। पुरस्कार में एक उद्घरण, मंजूषा, और ₹1 लाख प्रत्येक नकद राशि होगी। मान्यता में उद्घरण और मंजूषा शामिल होंगे।

पात्रता : अधिनियम के तहत पंजीकरण योग्य भूमि की किस्मों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक महत्व के पौधों के वन्य संबंधियों तथा इस प्रकार चुनी गई सामग्री के चयन और संरक्षण के माध्यम से इनके सुधार और किस्मों में जीन के दाता के रूप में संलग्न किसान पुरस्कार और मान्यता के लिए पात्र होंगे।

आवेदन पत्र : आवेदन पत्र पीपीवी एण्ड एफआरए के कार्यालय से सभी कार्य दिवसों पर सुबह 9.30 बजे से 5.30 बजे के बीच प्राप्त किए जा सकते हैं या इन्हें वेबसाइट www.plantauthority.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदक हिन्दी या अंग्रेजी में आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है और सभी समर्थक दस्तावेजों के साथ केवल एक पूरा आवेदन पत्र भरने की आवश्यकता है। यदि आवश्यक हुआ तो प्राधिकरण द्वारा स्थल का सत्यापन किया जाएगा और प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों को अपने आप अगले वर्ष के पुरस्कार की प्राप्ति के लिए विचार में लिया जाएगा। एक बार प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिवार्ड और प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर रिकॉग्निशन्स प्राप्त कर लेने वाले किसानों को दोबारा आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

अनिवार्य : यह अनिवार्य है कि आवेदक अपने आवेदन संबंधित पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति के अध्यक्ष या सचिव या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या जिला जनजातीय विकास कार्यालय के माध्यम से अपने आवेदन अंग्रेषित करें। मान्यताओं और पुरस्कारों के लिए चुने गए किसानों को बीज या प्रवर्धन सामग्री की निर्दिष्ट मात्रा जमा करने के लिए कहा जाएगा जिसकी सूचना आगे दी जाएगी।

जमा करने की अंतिम तिथि : विधिवत भरे गए आवेदन पंजीकार (कृषक अधिकार) का कार्यालय, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, एस-2, ब्लॉक 'ए', एनएएससी कॉम्प्लेक्स, डीपीएस मार्ग, गांव टोडापुर के सामने, नई दिल्ली-110012, के पास **15 अक्टूबर, 2012** तक या इससे पहले पहुंच जाने चाहिए।

पंजीकार (कृषक अधिकार)

Size : W-12 x H-12 cm